10/A

पीठासीन अधिकारी–श्री महेन्द्र लोढ़ा

निगरानी संख्या 01/17 तारीख रजू– 06/01/2017

शंकर लाल पुत्र कल्याण जाति रैगर निवासी रैगर बस्ती 72 प्लाटस चौथ का बरवाड़ा ।
———निगरानी गुजार (प्रार्थी)

बनाम

1– संरपच ग्राम पंचायत चौथ का बरवाड़ा तहसील चौथ का बरवाड़ा।
2– ग्राम पंचायत चौथ का बरवाड़ा जरिये सचिव ग्राम पंचायत चौथ का बरवाड़ा।
3– पंचायत समिति चौथ का बरवाड़ा जरिये विकास अधिकारी पंचायत समिति ।
–अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक– 15/12/17

प्रार्थीगण ने यह निगरानी प्रार्थनापत्र ग्राम पंचायत के निर्णय दिनांक 13/08/13 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। जिसके द्वारा अनु0 रैगर बस्ती 72 प्लाटस इलाका चौथ का बरवाड़ा में प्रार्थी को विक्रय शुदा भूमि को सार्वजनिक सामुदायिक भवन हेतु आंवटित किया गया है तथा निगरानी गुजार ने ग्राम पंचायत चौथ का बरवाड़ा द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 13/08/13 व इसके आधार पर जारी पट्टा निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये सम्मन की गई । अप्रार्थीगण मय वकील उपस्थित। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई ।

विद्वान वकील निगरानी गुजार (प्रार्थीगण) ने प्रार्थनापत्र मे वर्णित तथ्यो का हवाला देते हुए बहस मे निवेदन किया कि अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय कानून एवं तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्त योग्य है। प्रार्थी ने अपने पट्टे की भूमि के पास की भूमि लेने हेतु ग्राम पंचायत में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था। उक्त आवेदन पत्र पर ग्राम पंचायत ने 42,636 रूपये जमा कराने हेतु प्रार्थी को निर्देशित किया था। जिस कम में प्रार्थी द्वारा दिनांक 17/08/2016 को विकास शुल्क 42,636 व पट्टा फीस 200 रू0 कुल 42,836 रूपये जमा करवा दिये गये है। प्रार्थी की जमीन 38 x 22 पर सामुदायिक भवन हेतु ग्राम पंचायत द्वारा पूर्व में पट्टा जारी कर दिया । जबकि सामुदायिक भवन पूर्व में ही अन्यत्र स्थान पर बना हुआ है। एक ही जगह के दो पट्टे जारी कर ग्राम पंचायत ने बहुत बड़ी भूल की है। ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 16/08/13 को सामुदायिक भवन हेतु पट्टा जारी कर दिया लेकिन मौके पर कोई सामुदायिक भवन नहीं है। उक्त वाद आराजीयात पर प्रार्थी का ही कब्जा काश्त है। उक्त वाद आराजीयात पर प्रार्थी ने शौचालय बनाना शुरू किया तो पंचायत ने रोक दिया। उक्त वाद आराजीयात पर हमारा 40 वर्ष से कब्जा है, साथ ही वकील निगरानीगुजार (प्रार्थी) ने ग्राम पंचायत के दोनों निर्णय निरस्त कर प्रकरण पंचायत को रिमाण्ड कर मौके स्थिती के अनुसार पट्टा जारी करने हेतु निदेर्शित करने का अनुरोध किया है।

विद्वान वकील अप्रार्थीगण ने दौराने बहस निवेदन किया है कि उक्त वाद आराजीयात पर सामुदायिक भवन का पहले से ही पट्टा दिया हुआ है ऐसी स्थिती में निगरानीगुजार 40 वर्ष पूर्व

अति॰ जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

11/A

का कब्जा किस प्रकार हो सकता है। जब ग्राम पंचायत द्वारा पूर्व में सामुदायिक भवन हेतु पट्टा दिया जा चुका है तो दुबारा पट्टा दिया जाना उचित नहीं है। सहवन से किसी गलति के कारण ग्राम पंचायत द्वारा एक भूमि के दो पट्टे जारी हो गये है। प्रार्थी द्वारा जमा करवाये गये पैसे प्रार्थी पुनः प्राप्त कर सकता है। अतः निगरानी गुजार द्वारा निगरानी अस्वीकार कर ग्राम पंचायत चौथ का बरवाड़ा द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 13/08/13 व इसके आधार पर जारी पट्टा यथावत रखने का श्रम करें।

वकील उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने व अदालत मातहत की पत्रावली का अवलोकन करने पर सर्वप्रथम यह पाया गया कि उक्त वाद आराजीयात का ग्राम पंचायत चौथ का बरवाड़ा द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 13/08/13 के आधार पर सामुदायिक भवन हेतु दिनांक 16/08/13 को पट्टा जारी किया गया था एवं उसी वाद आराजीयात के संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा निगरानीगुजार को पट्टा प्राप्त करने हेतु विकास शुल्क व पट्टा फिस कुल 42,836 रू0 जमा कराने हेतु सूचित किया गया था। जिस संबंध में निगरानी गुजार द्वारा दिनांक 17/08/16 को पट्टा फिस व विकास शुल्क 42,836 जमा करा दिया गया है। चुकि एक ही भूमि के दो पट्टे जारी कर ग्राम पंचायत द्वारा बहुत बडी भूल की गई है। जिसे वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में भी स्वीकार किया है। अतः मेरे अभिमत में निगरानीगुजार द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार योग्य पाई जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानी गुजार द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार करते हुए अदालत मातहत द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 13/08/13 व उक्त आदेश के क्रम में जारी पट्टा दिनांक 16/08/13 निरस्त किया जाता है, साथ ही ग्राम पंचायत को पत्रावली प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा की उपस्थिती में उक्त वाद–आराजीयात का मौका देखकर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 15.12.17 को लिखया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(महेन्द्र लोढ़ा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर